

#1202

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राजस्थान)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्नाहेंडा)
 धारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 2025 दायर दिनांक 9 / 10 / 2025

रिपोर्ट 909

शुद्ध प्रविष्टी
 1. भेरुलाल पिता शकरलाल पुर्विया सा.
 केसरखेडी खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन



| | | | | | | | |
|------|-----------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| क.स. | नाम | खाता नम्बर | महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ीदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। | | वर्तमान प्रविष्टी | शुद्ध प्रविष्टी | कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कलक्टर कपासन आदेश |
| 1 | इन्दरपुरा | 84 | वर्तमान प्रविष्टी | वर्तमान प्रविष्टी | वर्तमान प्रविष्टी | वर्तमान प्रविष्टी | तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम इन्दरपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 84 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ीदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जानें का आदेश दिया जाता है। |
| | | | हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर | हस्ताक्षर निरदावर | हस्ताक्षर मोहर | हस्ताक्षर तहसीलदार मय | पदेन सहायक कलक्टर कपासन |

पटवारी इन्दरपुरा
 कपासन
 तहसील-चितौड़गढ़ (राज.)

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
 कपासन जिला-चितौड़गढ़

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)